

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 63/2017

अपीलान्ट्स

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1मनोहरलाल पुत्र गोपीकिशन
2गोपीकिशन पुत्र लक्ष्मणराम
जातियान रेगर निवासीगण
बडली तहसील व जिला नागौर।

तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:24.06.2019

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 82/2016 सरकार बनाम मनोहरलाल में निर्णय दिनांक 30.09.16 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 485 रकबा 220 X 45 वर्गफुट गै.मु. अंगौर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.06.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 22.06.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 82/2015 सरकार बनाम मनोहरलाल में पारित निर्णय दिनांक 30.09.16 की फोटोप्रति, पट्टे की फोटोप्रति, नगरपालिका नागौर के आदेश की फोटोप्रति, पट्टा आवेदन की फोटोप्रति, इकरारनामे की फोटोप्रति, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, बयानात की फोटोप्रति, आपतिय विज्ञप्ति की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, पट्टा की फोटोप्रति, बिजली बिल की फोटोप्रति, मतदता पहचान पत्र की फोटोप्रति, तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के निर्णय दिनांक 27.10.17 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होते हुए भी उसे गलत नोटिस दिया तथा गोपीकिशन का कब्जा स्वामित्व होते हुए भी उसे नोटिस नहीं दिया। नोटिस मिलने पर मनोहर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा नहीं है। तब अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा मनोहर को बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी, अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। गोपीकिशन द्वारा किये गये दीवानी वाद में रेस्पोडेन्ट के सरकारी अधिवक्ता ने 11.05.17 को सिविल न्यायालय में इस अपीलाधीन निर्णय के बारे में खुलासा किया तब अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट्स को हुई, इससे पहले अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट्स को नहीं थी। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(1)-अपीलाधीन निर्णय, अवैध अनाधिकृत विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया हुआ होने से निरस्तनीय है।



अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)—अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट मनोहर के विरुद्ध धारा 91 का प्रकरण दर्ज करने, मनोहर को नोटिस देने व उसे साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है, क्योंकि मनोहर इस जायगा का न तो स्वामी है, न उसका इस जायगा पर कभी कब्जा था।

{2}(III)—वादग्रस्त जायगा अपीलांट गोपीकिशन के कब्जे स्वामित्व की रहती रही है। लेकिन जानबूझकर गोपीकिशन को नोटिस नहीं दिया गया और इस प्रकार गोपीकिशन को साक्ष्य सबूत सुनवाई के अवसर से वंचित रखकर गोपीकिशन के पीठ पीछे निर्णय पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)—वादग्रस्त भूमि अपीलांट के बडेरों के समय से मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की रहवासी पट्टासुद भूमि है तथा सन 1975 में नगरपालिका नागौर द्वारा इस भूमि का पट्टा अपीलांट के नाम जारी किया गया था। अपीलांट के स्वामित्व पट्टासुद जायगा के संबंध में रेस्पोंडेन्ट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, इसलिये ऐसी कार्यवाही में पारित निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपास्त योग्य है।

{2}(V)—पचासो साल पहले अपीलांट के बडेरों की इस भूमि पर चारों ओर बाड की हुई थी तथा अंदर कच्चे रहवासी ठांव बने हुए थे, जिनके आधार पर ही अपीलांट को स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी किया गया था। पट्टा जारी किया गया, उस वक्त रेस्पोंडेन्ट सहित किसी ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी।

{2}(VI)—पुराने समय से बनी कांटो की बाड के स्थान पर चारदीवारी का निर्माण व एक पक्के कमरे, स्नान घर, शौचालय का निर्माण अपीलांट गोपीकिशन ने पट्टा जारी होने के कुछ समय बाद ही करवा लिया था तथा बाकी पुराने झूपे वगैरह यथावत बने हुए थे। मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नया कब्जा बताने में कानूनी गलती की है।

{2}(VII)—अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को अंगोर भूमि मानने में कानूनी गलती की है। यह भूमि केवल राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अंगोर दर्ज है। मगर वास्तव में कभी भी मौके पर अंगोर के काम में नहीं आयी है। न आज दिन अंगोर के काम आ रही है।

{2}(VIII)—भूमि अंगोर के काम आ रही है। ऐसी कोई पत्रावली पर नहीं थी। पट्टवारी शिकायतकर्ता स्वयं ने उपस्थित होकर अपने बयान नहीं दिये हैं। यदि पट्टवारी बयान देता और अपीलांट को जिरह का तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाता तो साफ साबित हो जाता कि वादग्रस्त भूमि अंगोर नहीं है।

{2}(IX)—खसरा नं. 485 की पूरी भूमि पर आबाद मौहल्ला बसा हुआ है। जिसमें सैकड़ों रहवासी मकान बने हुए हैं। सरकार ने स्वयं ने बिजली पानी की लाईने बिछाकर इन सभी घरों में बिजली पानी के कनेक्शन दे रखे हैं। सरकार ने इस बस्ती में सीवरेज लाईन भी बिछा रखी है, अपीलांट के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची इस जगह के पुराने समय के बने हुए हैं।

{2}(X)—अपीलांट सद्भाविक काबिज स्वामी पट्टासुद मालिक है तथा सरकार की एक संस्था नगरपालिका द्वारा अपीलांट को चालीस साल पहले पट्टे जारी किये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व का विवाद है, वे मामले धारा 91 जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया में तय किये जाने चाहिये, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(XI)—वादग्रस्त भूमि अपीलांट गोपीकिशन के पट्टासुद स्वामित्व की पीढियों से कब्जे की रहती चली आ रही है, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नागौर में स्थित अंगोर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पट्टवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 485 रकबा 220x45 वर्गफुट अंगोर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है।




अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर,
जयपुर